



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125039

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18143 वर्ष 2026

सौरभ उर्फ मोन्

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: मुकुल यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना बन्नादेवी, जिला अलीगढ़ से संबंधित वाद अपराध संख्या- 558 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी आईपीसी में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के सूचनादाता लवकुश की पत्नी रजनी ने वर्ष 2021 में एक भूखंड खरीदा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि फर्जी व्यक्तियों के पक्ष में एक जाली बैनामा तैयार किया गया था। एक अभियुक्त ने रजनी का रूप धारण किया था, जबकि दो अन्य फर्जी व्यक्तियों ने मूल बैनामे के साक्षी गवाहों का रूप धारण किया था। इस जाली बैनामे के बल पर, फर्जी व्यक्तियों ने तत्पश्चात वीरेन्द्र की पत्नी शशि के पक्ष में एक बैनामा निष्पादित कर दिया। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि वह फर्जी व्यक्तियों द्वारा वीरेन्द्र की पत्नी शशि के पक्ष में निष्पादित किए गए बैनामे का एक साक्षी गवाह था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वीरेश कुमार, जिसने वर्ष 2021 के जाली बैनामे में कथित तौर पर एक साक्षी गवाह का रूप धारण किया था, उसे इस न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 11854 वर्ष 2026, वीरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश दिनांक 14.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक कोई फर्जी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह केवल वीरेन्द्र की पत्नी शशि के पक्ष में निष्पादित बैनामे का एक साक्षी गवाह था। आवेदक दिनांक 28.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह तर्क दिया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह ने प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा प्रकट किए गए तथ्य सही हैं और विवेचक द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के अनुरूप हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। आवेदक द्वारा प्रकट की गई दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदक ने वीरेन्द्र की पत्नी शशि के पक्ष में निष्पादित बैनामे में एक साक्षी गवाह के रूप में कार्य करते समय किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का छद्मवेष धारण नहीं किया था।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- सौरभ उर्फ मोनू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन पक्ष के पक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

3 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"